



बिहार विधान परिषद

(203 बजट सत्र)

16 मार्च 2023

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].

कुल प्रश्न 32

कड़ी कार्रवाई का निदेश

*97 श्री सुनील कुमार सिंह (विधान सभा):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य में भोजपुरी भाषा में अश्लील/द्विअर्थी तथा भोजपुरी भाषा को बदनाम करने वाले गानों की बाढ़ आ गई है;

(ख) क्या यह सही है कि विभिन्न सार्वजनिक स्थलों/समारोहों/चौक-चौराहों पर सार्वजनिक यातायात के साधनों पर अक्सर भोजपुरी भाषा में अश्लील/द्विअर्थी तथा भोजपुरी भाषा को बदनाम करने वाला गाना बजते रहता है;

(ग) क्या यह सही है कि इन अश्लील/द्विअर्थी तथा भोजपुरी भाषा को बदनाम करने वाले गानों के बजने से बच्चों, महिलाओं तथा परिवार के साथ जा रहे व्यक्ति को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है;

(घ) क्या यह सही है कि कम उम्र के बच्चे, युवा पर इन अश्लील/द्विअर्थी तथा भोजपुरी भाषा को बदनाम करने वाले गानों का कुप्रभाव पड़ रहा है, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न होती है एवं लैंगिक हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भोजपुरी भाषा में बजने वाले इन अश्लील/द्विअर्थी गाना तथा भोजपुरी भाषा को बदनाम करने वाले गाना गाने वाले कलाकारों पर प्रतिबंध लगाते हुए पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

बांध का निर्माण

*268 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिला अंतर्गत बाढ़ प्रमंडल नवगछिया स्थित मदरौनी ग्राम पंचायत अंतर्गत सुरक्षात्मक बांध के लगभग तीन से चार किलोमीटर तक निर्माण नहीं होने से नदी की मुख्य धारा में परिवर्तन होने की आशंका है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त हिस्से में बांध नहीं रहने से फसल भी बाधित होती है और जल-जमाव भी काफी दिनों तक रहता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बचे हिस्से की सुरक्षात्मक बांध का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक ?

क्षमता से अधिक कैदी

*269 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य की जेलों में क्षमता से लगभग 21 हजार अधिक कैदी बंद हैं, जिनमें महिला कैदियों की संख्या भी क्षमता से अधिक है;

(ख) क्या यह सही है कि मानवाधिकार आयोग, कारा हस्तक सहित सभी के नियमों में क्षमता से अधिक कैदी रखे जाने को गंभीर विषय माना गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार क्षमता से अधिक कैदियों को रखने की परिपाटी को समाप्त करने हेतु क्या कार्रवाई करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*270 प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत लखीसराय के इंगलिश मुहल्ला वार्ड नं.- 3 में एक कब्रिस्तान स्थित है जिसका खाता सं.- 228, खेसरा सं.- 480 एवं 4757 थाना संख्या- 128, तौजी संख्या- 3350, रकबा 76 डि. है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कब्रिस्तान पिछले कई वर्षों से खुला एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जानवरों के चारागाह बन जाने के कारण इसकी पवित्रता भंग हो रही है, इसकी सूचना पत्र द्वारा (28.02.2019) स्थानीय नागरिकों द्वारा लखीसराय जिला पदाधिकारी को दी गई है;

(ग) क्या यह सही है कि कई वर्ष गुजर जाने के बाद भी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हो पाई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य पूरा करायेगी ?

वाहनों का स्वामित्व

*271 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि श्रीमती मीनाक्षी सिन्हा, निवासी कंकड़बाग, पटना के नाम से पंजीकृत संख्या- बी.आर.01 पी.ए.- 4631 एवं विन्गर वाहन संख्या- बी.आर. 01-पी.सी. 4058 का स्वामित्व जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय, पटना के द्वारा कुमार देवेश चन्द्र सामवेदी के नाम से स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मामला श्रीमती मीनाक्षी सिन्हा के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने दिनांक:- 04.02.2022 को जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को लिखित शिकायत की है, बावजूद इसके स्वामित्व का संशोधन करने के संबंध में अबतक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रीमती मीनाक्षी सिन्हा को खंड 'क' में वर्णित दोनों वाहनों का स्वामित्व प्रदान करना चाहती है और इसमें संलिप्त दोषी व्यक्तियों पर सरकार कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ?

भुगतान की प्रक्रिया में देरी

***272 श्री संतोष कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, रोहतास एवं कैमूर):**

क्या मंत्री, **समाज कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, रोहतास के द्वारा दिनांक:- 27 मार्च, 2021 को जारी पत्रांक- 489 और 23 सितम्बर, 2021 को जारी पत्रांक- 1018 द्वारा कोराना काल में हुए कार्य हेतु आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षिकाओं के यात्रा भत्ता भुगतान का आदेश जारी है;

(ख) क्या यह सही है कि जिलास्तरीय पदाधिकारी द्वारा दो-दो बार आदेश निर्गत किये जाने के बावजूद संझौली सहित कई प्रखंडों में अबतक यात्रा भत्ता का भुगतान सी.डी.पी.ओ. की मनमानी के कारण अबतक नहीं हो सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भुगतान की प्रक्रिया में हो रही देर एवं सी.डी.पी.ओ. की मनमानी पर कार्रवाई करना चाहती है ?

सेस कर की वसूली

***273 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या मंत्री, **श्रम संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि श्रामिकों के हित में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकरण अधिनियम, 1996 की धारा- 3 के तहत निर्माण के विरुद्ध कुल लागत का एक प्रतिशत सेस यानी उपकर संग्रह करने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि इससे कुल प्राप्त राशि सरकारी विभागों से 94 प्रतिशत एवं निजी प्रतिष्ठानों से मात्र 6 प्रतिशत प्राप्त होता है जिसकी उगाही जिले के नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों द्वारा की जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निकायों से कम हो रही सेस कर की वसूली के लिए जिम्मेवार नगर निगम, नगर परिषद् की सूची उपलब्ध कराना चाहती है एवं उपकर संग्रह को बढ़ाए जाने हेतु कार्रवाई से सदन को अवगत कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

विद्यालयों का निर्माण

***274 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **श्रम संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में श्रामिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए नवोदय

विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोलने की योजना है;

(ख) क्या यह सही है कि पहले चरण में पटना, गया, दरभंगा और भागलपुर में ऐसे विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह सही है कि श्रमिक विद्यालय के निर्माण के लिए तीन एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें क्लास रूम, छात्रावास, खेल मैदान एवं पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रथम चरण में श्रमिकों के बच्चों के लिए विद्यालयों का निर्माण कब तक कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

बांध का निर्माण

***275 मो. फारुक (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत पिपराही प्रखंड के बेलवा नरकटिया के पास बागमती नदी की पुरानी धारा पर हेडरेगुलेटर, स्लूईस गेट बनकर तैयार है लेकिन दोनों तरफ दो किलोमीटर में बांध का निर्माण कार्य नहीं होने के कारण शिवहर से ढाका मोतिहारी पथ में आवागमन अवरुद्ध है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पुरानी धारा में बने हेडरेगुलेटर, स्लूईस गेट के दोनों तरफ बांध का निर्माण कराकर आवागमन चालू करने की विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ?

अतिक्रमण से मुक्त कब तक

***276 श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या मंत्री, **योजना एवं विकास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड मुख्यालय, तरैया में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना मद से जन प्रतिनिधियों के लिए निर्मित सामुदायिक प्रतिनिधि भवन का अतिक्रमण अंचल गार्ड द्वारा कर लिया गया है जिसके कारण जनप्रतिनिधियों को बैठने तथा आम जनता की समस्याओं का निपटारा करने में परेशानी होती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नवनिर्मित सामुदायिक भवन को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पानी की उपलब्धता

***277 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत सोन नहर प्रणाली से निसृत कोईलवर राजवाहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कोईलवर राजवाहा नहर के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने के चलते संदेश एवं कोईलवर प्रखण्ड के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भोजपुर जिलान्तर्गत कोईलवर राजवाहा नहर के अंतिम छोर तक शीघ्र पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

वरीयता सूची का प्रकाशन

***278 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

क्या मंत्री, **वाणिज्य कर** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि वाणिज्य कर विभाग, पटना ने फरवरी, 2014 के बाद अभी तक अपने पदाधिकारियों की वरीयता सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि सभी विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने पदाधिकारियों की वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि फरवरी, 2014 के बाद बहुत से पदाधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिससे वरीयता सूची प्रकाशन नहीं होने से विभाग में पदाधिकारियों का सही आकलन का पता नहीं चल रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वाणिज्य कर विभाग, पटना के पदाधिकारियों की वरीयता सूची का प्रकाशन साथ ही फरवरी, 2014 के बाद विभाग में कितने पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति, रिक्त पदों एवं नियुक्ति की जानकारी सदन को देना चाहेगी ?

कार्रवाई पर विचार

***279 श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

क्या मंत्री, **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला के जसोईया मोड़ के पास श्री सीमेंट का प्लांट संचालित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्लांट पटना - औरंगाबाद मुख्य मार्ग पर होने से हमेशा ट्रकों की लंबी लाइन लगी रहती है जिसके कारण जाम की समस्या बनी रहती है;

(ग) क्या यह सही है कि सीमेंट प्लांट से निकल रहे प्रदूषण से आम जनता की स्वास्थ्य की हानि एवं धूलकण से आम जनता के आसपास के मकान की भी क्षति हो रही है;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त प्लांट के द्वारा सीमेंट बनाने हेतु जमीन के अंदर अधिक से अधिक हॉर्स पावर का मोटर लगाकर पानी का भूगर्भीय जल का दोहन किया जा रहा है जिससे जिला में आने वाली गर्मी में पानी के संकट होने की आशंका है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्लांट से निकल रहे अधिक मात्रा में धूलकण के साथ-साथ वर्णित कंडिका 'ख', 'ग' एवं 'घ' के संबंध में कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मासिक भत्ता में बढ़ोतरी

*280 श्रीमती रेखा कुमारी (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार विकलांगों को 400 रुपया प्रति माह भत्ता देती है;

(ख) क्या यह सही है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 10,000 रुपया एवं अन्य राज्यों में भी 1000 रुपया एवं इससे भी ज्यादा प्रति माह भत्ता दिया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विकलांगों के मासिक भत्ता में बढ़ोतरी का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*281 श्री जनक राम (मनोनीत):

क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के 38 जिलों में अंबेडकर कल्याण छात्रावासों अथवा अंबेडकर आवासीय विद्यालयों का निर्माण हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावासों में रह रहे छात्र-छात्राओं के भोजन हेतु

जलपान गृह बंद पड़े हैं जबकि जलपान गृह में कार्यरत कर्मियों को वेतन का भुगतान हो रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि सभी छात्रावासों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं के बराबर होने से छात्र दूषित जल पीने पर मजबूर हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में बंद पड़े जलपान (रसोई) गृहों को सुचारु रूप से चलाने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

छात्रावास की मरम्मत

***282 श्री अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत अंबेडकर कल्याण छात्रावास की स्थिति जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त अंबेडकर कल्याण छात्रावास में शौचालय, स्नानागार व पुस्तकालय का अभाव है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र सहरसा स्थित अंबेडकर कल्याण छात्रावास को मरम्मत कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बियर निर्माण का आदेश

***283 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिले के सिंचाई प्रमण्डल, उबेरास्थान के अन्तर्गत मोदनगंज प्रखण्ड में गजौआपर एवं मठपर/ ठिकहीपर के बीच भूतही नदी में बियर निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सही है कि मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन जल संसाधन, नालन्दा/ बिहार शरीफ के पत्रांक- 2285, दिनांक- 17.11.2012 के द्वारा सिंचाई कार्य प्रमण्डल, उबेरास्थान के स्थल जांच हेतु प्रतिवेदन उपरान्त स्थल निरीक्षण किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोदनगंज प्रखण्ड अन्तर्गत किसानों के हित में भूतही नदी में गजौआपर एवं मठपर/ ठिकहीपर के

बीच बियर निर्माण का आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण हटाने पर विचार

***284 Mr. Ghanshyam Thakur (Nominated):**

Will the **Home** be pleased to state:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिले की बेनीपट्टी नगर पंचायत में सिद्ध पीठ उच्चैठ भगवती स्थान और बेनीपट्टी बाजार में अतिक्रमण के कारण लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए कई बार स्थानीय लोगों के द्वारा आवेदन भी दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि भगवती स्थान में अतिक्रमण के कारण दुर्गा पूजा एवं कई पर्व-त्योहारों में श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक अतिक्रमण को हटाना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

जब्त वाहन का स्थानांतरण

***285 श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सासाराम-आरा, पटना पथ पर स्थित अगरेर थाना के पास थाने द्वारा जब्त वाहन मुख्य मार्ग पर लगभग एक किलोमीटर तक लगे रहते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सासाराम-आरा, पटना पथ पर स्थित अगरेर थाने से अगरेर बाजार तक थाने द्वारा जब्त वाहन के कारण जाम एवं दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अगरेर थाना द्वारा जब्त वाहन को किसी अन्य जगह स्थानांतरण या नीलामी कर हटाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

***286 श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत, थाना एवं ग्राम- मखदूमपुर में

कब्रिस्तान है, जिसका खाता सं.- 126, प्लॉट नं.- 431 और रकबा 53 डि०, तौजी नं.- 1321 है;

(ख) क्या यह सही है कि आज तक कब्रिस्तान में मुस्लिम लाशें दफनाई जा रही हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी जब भी कराई जाती है तो असामाजिक तत्वों द्वारा कब्रिस्तान की बाउन्ड्री को रातों-रात तोड़ दिया जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रशासन की देख-रेख में उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जल जमाव से मुक्ति

***287 श्री राजीव कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत छौड़ाही प्रखंड में एकम्बा, नारायण पिपड़, सावन्त, अमारी पंचायत अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि बरसात के बाद उक्त पंचायतें 6 महीनों तक बरसात के पानी से प्रभावित रहती हैं;

(ग) क्या यह सही है कि बरसात के पानी के जमाव के कारण वहां के किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेगूसराय जिलान्तर्गत छौड़ाही प्रखंड में एकम्बा, नारायण पिपड़, सावन्त, अमारी पंचायत को बरसात के बाद जल जमाव से मुक्त रखने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

साईफन की सफाई

***288 श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड- बगहा-1 के त्रिवेणी नहर क्षेत्र में पिपरिया, डुमरिया, लगुनाहा, चौतरहा एवं सियराहा गांव अवस्थित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि त्रिवेणी शहर की साईफन की सफाई नहीं होने से जल निकासी अवरुद्ध रहने के कारण खंड- क में वर्णित गांव की हजारों एकड़ जमीन की खेती जल-जमाव के कारण बर्बाद हो जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार त्रिवेणी नहर से नियमित जल निकासी हेतु साईफन की सफाई कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

रिक्त पद पर नियुक्ति

***289 श्री अशोक कुमार पाण्डेय (विधान सभा):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अंगुलांक ब्यूरो, पुलिस प्रयोगशाला, फोटो ब्यूरो के लिए निदेशक प्रमुख के पद पर स्थायी नियोजन हेतु नियमावली प्रारूप पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है;

(ख) क्या यह सही है कि यह निदेशक प्रमुख का पद राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अंगुलांक ब्यूरो, पुलिस प्रयोगशाला, फोटो ब्यूरो में सही समन्वय स्थापित करने एवं उक्त इकाईयों के निदेशकों पर प्रशासनिक नियंत्रण के उद्देश्य से सृजित किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड- 'क' एवं 'ख' में वर्णित निदेशक प्रमुख के रिक्त पद पर नियुक्ति कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जाम की समस्या से निजात कबतक

***290 श्री ललन कुमार सर्राफ (मनोनीत):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधेपुरा शहर एवं बाबा नगरी, सिंहेश्वर स्थान में जाम की समस्या अत्यंत विकराल हो चुकी है;

(ख) क्या यह सही है कि यातायात नियंत्रण हेतु मधेपुरा जिला में ट्रैफिक पुलिस का पद सृजित कर अथवा जिला पुलिस बल के जवानों को प्रशिक्षित कर यातायात नियंत्रण हेतु मधेपुरा शहर एवं सिंहेश्वर स्थान के विभिन्न जाम वाले प्वाइंट पर पदस्थापित करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मधेपुरा शहर एवं बाबा नगरी, सिंहेश्वर स्थान में जाम की समस्या से निजात हेतु वह ट्रैफिक पुलिस का पद सृजित कर पदस्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

सिंचाई से वंचित

*291 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला अंतर्गत बहने वाली दो नदियां खूरी एवं सकरी नदी महत्वपूर्ण नदियां हैं;

(ख) क्या यह सही है कि खूरी नदी को सकरी नदी से जोड़ दिया जाए तो किसान हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई से लाभान्वित होंगे;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोनों नदियों को जोड़ने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नियमानुकूल बहाली

*292 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिलान्तर्गत आमस प्रखण्ड, पंचायत- महुआवां, वार्ड नं.- 10 में सेविका के पद के लिए अल्पसंख्यक सीट आरक्षित थी;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पद पर नियम का उल्लंघन करते हुए सामान्य वर्ग को बहाल कर दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जांच कराकर गलत पाये जाने पर रद्द करते हुए नियमानुकूल बहाली करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

प्रशासनिक मर्यादा का उल्लंघन

*293 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि लघु जल संसाधन विभाग की निर्गत अधिसूचना-870, दिनांक:- 23.02.2022 निर्गत आदेश-162 सह-पठित ज्ञापांक- 3969, दिनांक:- 10.08.2022, विभागीय पत्रांक- 5189, दिनांक:- 26.09.2022, निगरानी विभाग, बिहार का पत्रांक- 2214, दिनांक:- 14.09.2020, विभागीय अधिसूचना सं.- 407, दिनांक:- 01.02.2022, विभागीय ज्ञापांक- 747, दिनांक:-01.02.2023 के द्वारा विभागीय ज्ञापांक- 1648, दिनांक:- 30.03.2022, एवं ज्ञापांक- 22, दिनांक:- 02.01.2023 जिस विभागीय अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये गये, उन्हें विभागीय अधिसूचना-364,

दिनांक:- 19.01.2023 को मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के साथ-साथ प्रबंध निदेशक, बिहार जल विकास निगम, पटना एवं प्रबंध निदेशक, भालकों का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया, जबकि विभागीय अभियंताओं के वरीयता क्रमांक-3282, 3341, 3872 एवं 4395 पर अंकित अधीक्षण एवं मुख्य अभियंता, जिनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, इनसे वरीय हैं, जिनकी वरीयता की अवहेलना की गई;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो विभाग के द्वारा प्रशासनिक मर्यादा का उल्लंघन कर भ्रष्टाचार में लिप्त अभियंता को संरक्षित करने का क्या औचित्य है और क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नहर की खुदाई

*294 श्री संजय पासवान (विधान सभा):

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शेखपुरा जिला के शेखपुरा प्रखंड के मुबारकपुर मेन रोड से एंझी ग्राम होते हुए कटारी गांव तक की नहर की वर्षों से खुदाई नहीं हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नहर की खुदाई नहीं होने से कई पंचायत के किसानों को पटवन में काफी परेशानी हो रही है और सैकड़ों एकड़ फसल पटवन के बिना बर्बाद हो जाती है;

(ग) क्या यह सही है कि स्थानीय जनता ने कई बार नहर की खुदाई करवाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवेदन दिया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त नहर की खुदाई करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

जल-जमाव से मुक्ति

*295 श्री देवेश कुमार (मनोनीत):

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पास पटना जिले के मोकामा टाल क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना जिले के मोकामा टाल क्षेत्र में जलजमाव की गंभीर स्थिति है और उससे निजात पाने के लिए सरकार की कोई योजना है;.

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि गंगा उद्यम योजना के तहत मोकामा के टाल क्षेत्र से किसानों को जल-जमाव से मुक्ति कब तक मिलेगी ?

नियंत्रण से मुक्त कब तक

*296 श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य विधि विज्ञान एवं पुलिस प्रयोगशाला, अपराध अनुसंधान विभाग के नियंत्रणधीन कार्यरत है;

(ख) क्या यह सही है कि क्या खंड 'क' में वर्णित दोनों प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक पुलिस पदाधिकारियों के दबाव में कार्य करते हैं जिससे जांच प्रतिवेदन प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ख' में वर्णित प्रयोगशालाओं को अपराध अनुसंधान विभाग के नियंत्रण से मुक्त करने की मंशा रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पानी देने पर विचार

*297 श्री अनिल कुमार (विधान सभा):

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के पूर्वी क्षेत्र मुंगेर, बांका एवं भागलपुर जिला में प्रत्येक 2-3 वर्षों में सुखाड़ या अकाल पड़ जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि हनुमना (बदुआ डैम) एवं खड़गपुर झील (डैम) रहने के बावजूद मुंगेर जिला के संग्रामपुर, तारापुर, टेटियावम्बर, असरगंज एवं हवेली खड़गपुर, बांका जिले के बेलहर, शम्भूगंज एवं भागलपुर जिला के सुलतानगंज क्षेत्र की लाखों एकड़ जमीन में सिंचाई हेतु समुचित पानी नहीं मिल पाता है;

(ग) क्या यह सही है कि हनुमना (बदुआ डैम) एवं खड़गपुर झील (डैम) में सुलतागंज गंगा नदी से लिफ्ट कर पानी दिया जा सकता है एवं साथ ही इनसे जुड़ी नहर (कैनल) में प्रत्येक 1 कि.मी. पर स्टेट ट्यूबवेल से पानी देने पर सालोंभर किसानों को पानी उपलब्ध कराया जा सकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या हनुमना (बदुआ डैम) में सुलतानगंज गंगा नदी से लिफ्ट कर पानी पहुँचाने एवं संबंधित नहर में स्टेट ट्यूबवेल से पानी देने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

स्लुइस गेट का निर्माण

*298 श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुधबनी जिला अंतर्गत लौकही प्रखंड की धनजैया नदी कुरीबन ग्राम से पूरब में अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उपर्युक्त नदी के स्लुइस गेट का निर्माण नहीं होने से बाढ़ का खतरा कई गांव में उत्पन्न रहता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार धनजैया नदी पर स्लुइस गेट का निर्माण कार्य कबतक कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?
